मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 11-14 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय बिंदुओं से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पक्ष समर्थन ।

—◆—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अनेक राजस्व प्रकरणों में वित्तीय बिंदु भी विनिश्चय के लिये निहित होते हैं । माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में निहित वित्तीय बिंदु निम्न प्रकार के हो सकते हैं:-

(अ) वित्त विभाग द्वारा प्रशासित किसी अधिनियम, नियम की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबधित ।
(ब) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्णय की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबंधित ।
(स) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्देश के अनुसार प्रकरण विशेष में शासन के किसी विभाग अथवा उसके कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को लाभ न दिया जाना ।

2/ उपर्युक्त "अ" तथा "ब" श्रेणी के न्यायिक प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा तथा वित्त विभाग के अनुमोदन से ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाएगा । "स" श्रेणी के प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत संबंधित अधिनियम, नियम अथवा शासन के नीतिगत निर्देश अनुसार दिये जाने की जिम्मेदारी पूर्णतः प्रशासकीय विभाग की होती है । अतः ऐसे प्रकरणों में यदि वित्त विभाग को पक्षकार बनाया जाता है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन किया जाना चाहिये कि याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी विभाग का होने से वित्त विभाग को असंबद्ध पक्षकार मानकर प्रकरण से पृथक किया जाये । प्रकरण में निहित वैधानिक बिंदुओं पर प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अभिमत प्राप्त कर तदनुसार ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3/ यदि संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा के अभिमत अनुसार संबंधित अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी नीतिगत निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके द्वारा चाही गई राहत स्पष्ट रूप से देय है, तो उक्त राहत अविलम्ब प्रदान करते हुए न्यायालय को अवगत कराना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर उसके अविलम्ब क्रियान्वयन की कार्यवाही भी संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना चाहिए । केवल ऐसे प्रकरणों में जिसमें न्यायालय द्वारा आदेशित राहत किसी अधिनियम, नियम के स्पष्ट प्रावधान के प्रथम दृष्ट्या विपरीत प्रतीत होती है तथा न्यायालय द्वारा की गई वैधानिक व्याख्या इस बारे में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा प्रसारित मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में न्यायालय निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने अथवा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथोचित निर्देश जारी करने की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित करने की सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत
(ए.पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांकः एफ 11-14 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ।
3. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
4. अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय इन्दौर/ग्वालियर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल /कृपया अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालकों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत करावें ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

http://www.finance.mp.gov.in